तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज न्यायालय जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम दीवानी (प्रोबेट) वाद सं. 224/2024 (3752/2018) श्रीमती नीरजा भारद्वाज बनाम सर्व साधारण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-10-25	वादिनी एवं प्रतिवादी दोनों के अधिवक्ता उपस्थित। वादिनी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के आवेदन पर बहस सुनी गई। इस आवेदन में अपने जबाव के समर्थन में प्रतिवादी की ओर से दस्तावेज भी प्रस्तुत किये, जो इस आवेदन के निस्तारण की सीमा तक ही सुसंगत होंगे। वादिनी की ओर से उसके देवर मोहन लाल शर्मा द्वारा वादिनी नीरजा के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 17.12.2015 के आधार पर प्रोबेट प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रतिवादी क्रम 2 मनीषा शर्मा की ओर से मोहन लाल की वसीयत दिनांक 24.12.2015 के आधार पर वादिनी का प्रोबेट आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के आवेदन के माध्यम से वादिनी नीरजा की ओर से अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पूर्व, जयपुर शहर में प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में मोहन लाल की मृत्यु पश्चात प्रह्लाद कुमार शर्मा द्वारा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर मोहन लाल की वसीयत दिनांक 17.12.2015 के आधार पर उनकी विधिक प्रतिनिधि के रूप में नीरजा को प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया और वादिनी द्वारा इस आवेदन व दस्तावेज के माध्यम से यह तर्क दिया गया है कि उक्त वाद में भी नीरजा के पक्ष में मोहन लाल की वसीयत दिनांक 17.12.2015 को न्यायालय द्वारा सुसंगत मानते हुए उसे पक्षकार बनाये जाने हेतु विचार किया गया था। अतः इस प्रकरण में भी यह आवेदन व वाद की प्रति, जबावदावा सुसंगत दस्तावेज हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जावे। प्रतिवादी मनीषा शर्मा की ओर से आवेदन का जबाव प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का जो आवेदन उक्त वाद में प्रस्तुत किया गया था, उस आवेदन को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था और उस संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये, जिनमें आदेश के माध्यम से प्रहलाद द्वारा नीरजा को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन परिसीमा अवधि से बाहर होने के कारण निरस्त कर वाद को अबेट होना निर्णीत किया गया है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में जहां वादिनी द्वारा प्रहलाद के आवेदन के आधार पर ही नीरजा के पक्ष में वसीयत होना बताते हुए यह दस्तावेज सुसंगत होना बताया है, वहीं प्रतिवादी द्वारा प्रहलाद का इस हस्तगत वाद से कोई संबंध	

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम

न होकर वसीयत के आधार पर नीरजा का उक्त वाद में पक्षकार नहीं होना भी प्रकट किया गया है।

इस प्रकरण में दोनों वादिनी व प्रतिवादी क्रमशः नीरजा व मनीषा द्वारा अपने–अपने पक्ष में मोहन लाल की वसीयत को आधार बनाते हुए स्वयं को उत्तराधिकारी होना कथन किया है। दोनों पक्षों को स्वतंत्र रूप से मोहन लाल शर्मा की उनके पक्ष में की गई वसीयत को प्रमाणित/खण्डित किया जाना है। किसी अन्य वाद में यदि वसीयत के आधार पर नीरजा को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन भी दिया गया है, तो भी संबंधित उक्त न्यायालय द्वारा नीरजा के पक्ष में निष्पादित वसीयत के संबंध में किसी प्रकार का कोई अभिमत नहीं दिया गया है और तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार उक्त आवेदन निरस्त भी किया जा चुका है। अतः प्रहलाद के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर वसीयत का निष्पादन प्रमाणित या खण्डित माने जाने के संबंध में उक्त दस्तावेजों की कोई सुसंगतता इस हस्तगत प्रोबेट प्रकरण में नहीं रही है। इन दस्तावेजों को यदि रिकॉर्ड पर लिया जाता है, तो असंगत दस्तावेजों से अनावश्यक रूप से विसंगतियां उत्पन्न होकर विचारण भी विस्तारित होगा। अतः आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेज प्रोबेट प्रमाण पत्र संबंधी अनुतोष हेतु सुसंगत नहीं होने से आवेदन निरस्त किया जाता है।

आगामी तारीख पर वादिनी नीरजा भारद्वाज जिसका शपथ पत्र दिया जा चुका है, को प्रतिपरीक्षा हेतु उपस्थित रखा जावे। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 19.11.2025 को पेश हो।

(नंदिनी व्यास)
जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम